>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers under crop insurance scheme in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): राजस्थान के चुरू जिले में चुरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारशहर व रतनगढ़ तहसीलों व हनुमानगढ़ जिले के भादरा, नोहर तहसीलों में मौसम आधारित फसल बीमा 2011-12 का क्लेम नहीं मिलने के कारण किसान काफी दिनों से भूख हड़ताल, धरने पर बैठे है । भयंकर पाला पड़ने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी । किसानों ने एकजुट होकर प्रभावी रूप से अपनी मांग एवं समस्या को रखा है । चुरू तहसील में तीन मौसम आधारित केंद्र लगे हुए है । बीमा कंपनी ने ग्राम जसरासर मौसम केंद्र का भुगतान 6000 रूपये प्रति हैक्टर, इंद्रपुरा केंद्र पर 2213 रूपये, चुरू शहर के मौसम केंद्र से संबद्ध बीमा-सुरक्षा प्राप्त किसानों को 3840 रूपये प्रति हैक्टेयर से भुगतान किया है, इस प्रकार कंपनी ने चुरू तहसील के किसानों को जसरासर की तुलना में 14.50 करोड़ रूपये क्लेम का कम भुगतान किया है । किसानों की मांग है कि जसरासर की भांति चूरू तहसील की अन्य पंचायतों का भुगतान किया जाए । राजगढ़ एवं सरदारशहर के कस्बों में लगे संयंत्र सही स्थान पर नहीं होने के कारण उनका तापमान ज्यादा दिखलाया गया है, जबकि इसी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे संयंत्र शून्य दिखा रहे हैं । किसानों की मांग के पश्चात् राजगढ़ में चैनपूरा मौसम केंद्र को आधार मानकर भुगतान किया गया है, जबकि किसानों की मांग नीमा मौसम केंद्र की गणना को आधार मानकर भुगतान करने का था । इसी तरह सरदारशहर तहसील के केंद्रों का भी काफी कम भुगतान किया गया है । तारानगर तहसील के किसानों से दो बार प्रीमियम लेकर भुगतान एक बार ही किया गया है, वह भी काफी कम है, भादरा व नोहर तहसील के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया गया है । इस तरह से दोनों जिले के किसानों को बीमा कंपनी द्वारा पर्याप्त पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है । कंपनी द्वारा अधिकांश संयंत्र उन स्थानों पर लगाए गए है, जहां का तापमान ज्यादा रहता है । कंपनी द्वारा स्थापित संयंत्रों के तापमान के आंकड़े अप्रमाणित व अविश्वसनीय है, जो भारत सरकार के तापमान आंकड़ों से भिन्न है । मौसम आधारित संयंत्र स्थापित करते समय मौसम वैज्ञानिक, किसान संगठनों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों आदि से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है । मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की वाजिब मांग को ध्यान में रखते हुए क्लेम का पूर्ण भुगतान किया जाए ।